

परिशिष्ट – क-II

कासगंज जं० स्टेशन पर स्थित ट्रैफिक समपार फाटक संख्या 250 'सी' के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

- | | | | |
|--|-----|--|----|
| (1) समपार फाटक की संख्या : | 250 | श्रेणी : | सी |
| (2) इंजीनियरिंग/यातायात फाटक : | | ट्रैफिक | |
| (3) अधीन स्टेशन अधी०/रेल पथ निरीक्षक : | | स्टेशन अधीक्षक/कासगंज जं० | |
| (4) किलोमीटर पर स्थित : | | 246/4-5 | |
| (5) स्टेशन | | कासगंज जं० | |
| (6) स्टेशन मध्य : | | कासगंज जं० एवं मारहरा, कासगंज जं० एवं कासगंज सिटी | |
| (7) बी०जी०/एम०जी०/एन०जी० : | | बी.जी./एम.जी. | |
| (8) इकहरी/दोहरी/मिश्रित : | | इकहरी | |
| (9) सामान्य स्थिति : | | सड़क यातायात के लिए खुला | |
| (10) इण्टरलाकड/नानइण्टरलाकड : | | इण्टरलॉक | |
| (11) इण्टरलाकिंग का प्रकार : | | एम.जी. एवं बी.जी. के डाउन होम एवं अप स्टार्टर सिगनलों से इण्टरलॉकड | |
| (12) गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर | | | |
| (i) डाउन लाइन : | | _____ | |
| (ii) अप लाइन : | | _____ | |
| (13) संकेतन व्यवस्था : | | कलर लाइट/लोअर क्वाड्रेंट सिगनल | |
| (14) संचार साधन टेलिफोन/घंटी : | | टेलीफोन स्टेमा/कासगंज जं० से सम्बद्ध | |
| (15) समपार फाटक की चौड़ाई : | | 7.33 मीटर | |
| (16) सड़क का प्रकार (एन०एच०/एस०एच०/अन्य) : | | अन्य | |
| (17) सड़क का नाम : | | अहिरौली-कासगंज जं० | |

(18) पक्का/कच्चा :	पक्का
(19) पहुँच मार्ग :	एएसपी
(20) सड़क की चौड़ाई :	3.50 मीटर
(21) सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए) :	90°
(22) सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	समतल
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	समतल
(23) सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i) उत्तर से पूर्व की तरफ :	सीधा
(ii) दक्षिण से पश्चिम की तरफ :	सीधा
(24) 'हाइट गेज का प्राविधान' :	नहीं
(25) बैरियर का प्रकार :	लिफ्टिंग बैरियर
(26) चेक रेल की लम्बाई :	7.33 मीटर
(27) समपार के मध्य सड़क का सतह :	एएसपी
(28) रम्बल स्ट्रिप/गति अवरोधक की लम्बाई :	4.00 मीटर
(29) रोड साइन :	उपलब्ध
(30) गति अवरोधक बोर्ड :	उपलब्ध
(31) टी०वी०यू० :	12410 जून 2012
(32) अगली गणना की तिथि :	2015
(33) पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान :	हैं
(34) गेटमैनो की संख्या :	दो केबिनमैन द्वारा संचालित
(35) निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र :	कासगंज जं०
(36) निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो :	कासगंज जं०
(37) उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ/नहीं :	नहीं

- 2 यह समपार फाटक बी0जी0 एवं एम0जी0 अप प्रस्थान सिगनल और डाउन आगमन सिगनल के मध्य स्थित अन्तर्पाशित फाटक है तथा केबिनमैन द्वारा संचालित है ।
 - 3 यह फाटक सामान्य स्थिति में सडक यातायात के खुला रहता है ।
 - 4 इस फाटक पर एक जोडा लिफ्टिंग पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन द्वारा केबिन में लगे विन्च द्वारा प्रचालित किया जाता है। बूम को लाक करने के लिए बूम लकिंग लीवर संख्या 7 प्रदत्त किया गया है जिसे खींचने (रिवर्स करने) पर बूम को फाटक की बन्द होने की स्थिति को लाक करता है।
 - 5 कार्यरत स्टेशन मास्टर पैनल बी0जी0 की किसी भी डाउन गाडी के आगमन तथा अप गाडी के प्रस्थान तथा शटिंग हेतु कार्यरत केबिनमैन गेट को सडक यातायात के विरुद्ध बन्द करने तथा लाक करने के लिए आदेश देगा। पश्चिम केबिन पर कार्यरत केबिनमैन समपार फाटक को सडक यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक करेगा तथा निम्न प्रोफार्मा पर गाडी की प्रविष्टि की जाएगी।
- नोट :-** स्टेशन मास्टर पैनल तथा केबिनमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग-बुक में निम्न प्रकार करेगा -

स्टेशन मास्टर की लॉग बुक

तिथि	गाडी सं0	गेटमैन को सूचित करने का समय	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4

केबिनमैन की लॉग बुक

तिथि	गाडी सं0	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करने /की-ट्रॉसमित करने का समय	समपार से पूरी गाडी गुजरने का वास्तविक समय /समपार खोलने का समय	गेटमैन का हस्ताक्षर	रिमार्क
1	2	3	4	5	6

6. (क) बी0जी0 गाडियों के आवागमन के दौरान जब समपार फाटक को सडक यातायात के विरुद्ध बन्द करने की आवश्यकता हो तो कार्यरत पश्चिम केबिनमैन विंच को तब तक प्रचालित करेगा जब तक कि बैरियर पूरी तरह फाटक को बन्द करते हुए समतल स्थिति में न हो जाये। लिफ्टिंग बैरियर गिराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सडक यातायात का कोई वाहन बीच में न फंस जाये और समपार फाटक गाडी के सुरक्षित गुजरने के लिए साफ तथा बाधा मुक्त है। विंच से चाभी एनएन को निकाल कर लीवर संख्या 7 पर लगे "ई" प्रकार लाक में लगाकर घुमाये और इसे रिवर्स करें। चाभी "पीपी" बूम लाक लीवर से निकलने के बाद केबिन में लगे लीवर लाक में लगाकर क्लाक वाइज घुमायेगा जिससे स्टेशन मास्टर पैनल पर प्रदत्त इस गेट के बन्द की पुष्टि स्वरूप एक इन्डिकेशन मिलेगा।
- (ख) एम0जी0 गाडियों के आवागमन के दौरान जब समपार फाटक को सडक यातायात के विरुद्ध बन्द करने की आवश्यकता हो तो कार्यरत पश्चिम केबिनमैन विंच को तब तक प्रचालित करेगा जब तक कि बैरियर पूरी तरह फाटक को बन्द करते हुए समतल स्थिति में न हो जाये। लिफ्टिंग बैरियर गिराते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि सडक यातायात का कोई वाहन बीच में न फंस जाये और समपार फाटक गाडी के सुरक्षित गुजरने के लिए साफ तथा बाधा मुक्त है। विंच से चाभी एनएन को निकाल कर लीवर संख्या 7 पर लगे "ई" प्रकार लाक में लगाकर घुमाये और इसे रिवर्स में खींचे चाभी "पीपी" बूम लाक लीवर से निकलने के बाद अपनी अभिरक्षा में रखने के बाद सम्बन्धित सिगनल लीवर खींचेगा।

7. गाडी के गुजरने के बाद केबिन में प्रदत्त **लॉक फ्री इन्डीकेशन** मिलने के बाद गेटमैन "पीपी" चाभी लीवर लाक से एन्टी क्लाक वाइज घुमाकर चाभी "पीपी" निकाल ली जायेगी। "पीपी" चाभी को **लीवर संख्या 7** में लगाकर लीवर को सामान्य अवस्था में करके चाभी "एनएन" निकाली जायेगी जिसे विन्च में लगाकर विन्च को संचालित कर गेट को खोला जायेगा जब तक दोनो बैरियर लगभग उर्ध्वाधर न हो जाये।
8. समपार फाटक को गाडी के सम्भावित आगमन एवं प्रस्थान के समय से अधिकतम 10 मिनट पहले बन्द करना चाहिए किसी भी मामले में समपार फाटक लगातार 12 मिनट से अधिक समय तक बन्द नहीं रखना चाहिए।
9. जब गेट चाभी लीवरलाक से बाहर नहीं निकाला जा सकता तब केबिनमैन तुरन्त कार्यरत स्टेशन मास्टर को प्राइवेट नम्बर के आदान प्रदान के अन्तर्गत टेलीफोन पर सूचित करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर/ **कासगंज जं०** स्टेशन पैनल कक्ष में स्थापित पार्किंग एचकेटी से आपात्कालीन चाभी "पीपीई" निकाल कर समपार फाटक पर भेजेगा तथा स्टेशन मास्टर निम्न लाग रजिस्टर में इन्दराज करेगा।

क्र०सं०	दिनांक	गेट संख्या	चाभी संख्या	चाभी भेजने का समय	प्रयोग का कारण
1	2	3	4	5	6

10. केबिनमैन चाभी "पीपीई" बूमलाक लीवर में लगाकर बूम को अनलाक करेगा तथा पैरा 7 में वर्णित विधि से समपार फाटक को खोलेगा।
11. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो तुरन्त आपात्कालीन स्विच के द्वारा गेट रक्षित करने वाले सिगनल को 'आन' स्थिति में कर देगा जिसकी विधि निम्नवत् है -

आपात्कालीन स्विच -

- आपात्कालीन समय में गेट रक्षित सिगनलों को 'आफ' से 'आन' स्थिति में करने के लिये समपार संख्या 250 पर एक स्विच का प्रावधान है। यह स्विच एक ग्लास लगे केस में लगा है। केस ताला बंद एवं सील रहता है। आपात स्थिति में सिगनलों को 'आन' करने के लिये गेट मैन ग्लास केस के सामने लगे शीशे को तोड़कर स्विच को घुमायेगा। ऐसा करने से सिगनल 'आन' हो जायेंगे। इसका विवरण कार्यरत गेटमैन डायरी में विस्तृत विवरण भरेगा तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। आपात स्थिति समाप्त होने पर स्विच को नार्मल कर देगा। स्टेशन मास्टर द्वारा लिखित सूचना मिलने पर ग्लास केस को एस. एण्ड टी. स्टाफ द्वारा शीशा बदलकर पुनः सील किया जायेगा।
12. केबिनमैन गुजरती हुई सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे- हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।
 13. लिफ्टिंग बैरियर, संचार व्यवस्था या गेट की अन्य किसी खराबी होने पर पश्चिम केबिनमैन फाटक को बन्द करने के लिए डिस्क युक्त जंजीर का प्रयोग करेगा तथा इसको ठीक कराने के लिए स्टेशन मास्टर को लिखित सूचना देगा।
 14. गेट के विफल होने की दशा में स्टेशन मास्टर पैनल जिम्मेदार एस. एण्ड टी. स्टाफ को खराब यंत्र को शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।
 15. सामान्य स्थिति केवल एस. एण्ड टी. स्टाफ के मरम्मत के बाद रिकनेक्शन/फिट'ममो देने के बाद ही होगी।